

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(422)एमई/ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक: 1-6 DEC 2017

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(85)एम.ई./ग्रुप-1/2013 दिनांक 02.11.2017 द्वारा नवनियुक्त निम्नलिखित वरिष्ठ प्रदर्शक फोरेन्सिक मेडिसिन के कार्यभार ग्रहणकाल में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 4 में उल्लेखित अवधि तक अभिवृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम/पदस्थापन स्थान	मेरिट क्रमांक	अभिवृद्धि की गई समयावधि
1.	2.	3.	4.
1.	डॉ० महेन्द्र सिंह, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।	10A	दिनांक 28.12.2017 तक

उक्त चिकित्सक शिक्षक को निर्देशित किया जाता है कि अभिवृद्धि की गई समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करे।

आज्ञा से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर।
3. डॉ० महेन्द्र सिंह पुत्र श्री उदय सिंह गुर्जर, जनक कॉलोनी महवा, दौसा(राज.)-321608
(रजिस्टर्ड डाक से)।
4. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव